न्यायालय सत्र न्यायाधीश, जौनपुर।
जमानत प्रार्थनापत्र सं0: 645/2024
सी0एन0आर0नं0– यू0पी0जे0पी0 010026852024

नीलेश उर्फ निल्ली पुत्र लालचन्द यादव।
सा0मौ0 सेठुआपारा, थाना खुटहन, जिला जौनपुर।

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य।
आवेदक की ओर से श्री रामनयन यादव एडवोकेट।
राज्य की ओर से डी0जी0सी0 क्रिमिनल जौनपुर।

मु0अ0सं0–192/2023
धारा–147, 341, 323, 302, 201, 506, 34 भा0दं0सं0
थाना–खुटहन, जिला जौनपुर।

03.05.2024

आवेदक/अभियुक्त नीलेश उर्फ निल्ली द्वारा मु0अ0सं0–192/2023, धारा–147, 341, 323, 302, 201, 506, 34 भा0दं0सं0, थाना खुटहन, जिला जौनपुर के मुकदमें में जमानत प्रार्थना प्रस्तुत किये गये है। अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है।

वादी मुकदमा सुनीता राजभर के द्वारा थाना खुटहन में एक तहरीर इस आशय के साथ प्रस्तुत की कि उसका पति रामसूरत और फूलचन्द्र दिनांक 19.07.2023 को समय 7.30 बजे रानीमउ से मोटर साइकिल द्वारा अपने घर पर आ रहे थे कि सेठुआपारा चौराहे पर पहले से खड़े नन्हू और लक्ष्मी यादव और उनके साथ तीन अज्ञात लोगों ने मोटर साइकिल को रोक लिया और नन्हू ने ललकारा कि मारो दोनों सालों को जान से मारकर खत्म कर दो। तभी नन्हू ने अपने हाथ में लिये लाठी लक्ष्मी यादव अपने अपने हाथ में लिये लोहे की राड और तीनों अज्ञात लोगों ने अपने हाथ में लिये हाकी से फूलचन्द ओर उसके पति को मारने लगे जान से मारने के बाद सड़क के किनारे स्थित पोखरे में फेंक दिये हल्का गुहार सुनकर अगल बगल के लोग आ गये। तो उपरोक्त मुल्जिमान मौके से फरार हो गये। गांव के लोगों ने किसी तरह पोखरे से निकालकर फूलचन्द की जान बचाये लेकिन तब तक उसका पति की मृत्यु हो चुकी थी। प्रार्थिनी असहाय व लाचार है। उपरोक्त के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी निर्दोष है, उसे गलत ढंग से अभियुक्त बनाया गया है। आवेदक प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित नहीं है। कथित घटना के बाद स्वयं वादिनी द्वारा लिखित तहरीर थाना खुटहन में दिया गया है जिसमें उसके द्वारा मोटर साइकिल चलाने के दौरान अपने पति के आंख में कीड़ा चले जाने के कारण मोटर साइकिल से गिरने तथा चोट लगने व तालाब में गिरकर डूबने से मृत्यु होना बताया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के सापेक्ष कोई घटना नहीं हुई बाद में सोच समझकर विधिक राय लेकर प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से अंकित करायी गयी है और उसका कोई स्पष्टीकरण भी नहीं दिया गया है। घटना का कोई चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है। कथित घटना में प्रार्थी का कोई विशिष्ट भूमिका नहीं दर्शायी गयी है। सहअभियुक्तगण की जमानतें माननीय न्यायालय के द्वारा

स्वीकार की गयी है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। उपरोक्त आधारों पर आवेदक को जमानत प्रदान किये जाने का निवेदन विद्वान अधिवक्ता द्वारा किया गया है।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा अपराध गम्भीर प्रकृति का बताते हुए जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने की याचना की।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वर्तमान अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित नहीं है, दौरान विवेचना उसका नाम प्रकाश में आया है। घटना दिनांक 19.07.2023 की बतायी गयी है जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 03.08.2023 को पंजीकृत करायी गयी है। घटना में फूलचन्द्र को चोट आने का कथन किया गया है परन्तु उसके शरीर पर आयी चोटें तथा चिकित्सा सम्बन्धी कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये है। अब तक की विवेचना में फूलचन्द का कोई बयान अंकित नहीं किया है। मृतक के शरीर का पंचायतनामा दिनांक 20.07.2023 को किया गया है जिसमें मोटर साइकिल असन्तुलित होकर तालाब में गिर जाना मृत्यु का कारण बताया गया है। मृतक के शरीर में सिर पर बायी कान के पास तथा हाथ की कोहनी के पास चोटें होने का उल्लेख किया गया है।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक के शव पर चोटों के कारण दायी टेम्पो पैराइटल हड्डी टूट जाने तथा खून का थक्का जमा होने का उल्लेख है तथा दाहिने तरफ सीने की हड्डी टूटी पाये जाने का भी अंकन किया गया है। गांव के लोगों के द्वारा पोखरे से निकालकर फूलचन्द की जान बचाने का प्रथम सूचना रिपोर्ट में उल्लेख है परन्तु किसी व्यक्ति को नामित नहीं किया गया है और न ही किसी प्रत्यक्षदर्शी साक्षी का कोई बयान अंकित किया गया है। सहअभियुक्तगण की जमानतें सत्र न्यायालय के द्वारा स्वीकार की जा चुकी है।

मामले के सम्पूर्ण तथ्य एवं परिस्थितियों में अभियुक्त की समान भूमिका पर विचार करके समानता के आधार पर अभियुक्त को जमानत पर छोड़े जाने का सन्तोषजनक आधार है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त नीलेश उर्फ निल्ली द्वारा मु0अ0सं0–192/2023, धारा–147, 341, 323, 302, 201, 506, 34 भा0दं0सं0, थाना खुटहन, जिला जौनपुर के प्रकरण में, उसके द्वारा मु0– 1,00,000/–रूपये का स्व बंधपत्र तथा समान धनराशि की दो प्रतिभूति सम्बन्धित मजिस्ट्रेट की सन्तुष्टि की दाखिल करने पर और इस बात की अंडरटेकिंग देने पर कि अभियुक्त प्रत्येक तिथि पर व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित रहेगा, किसी भी आपराधिक गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा, विचारण में सहयोग करेगा, किसी भी साक्ष्य या साक्षी को प्रभावित नहीं करेगा, उसे जमानत पर रिहा किया जाता है। **जमानत की शर्तों का उल्लंघन करने की स्थिति में सम्बन्धित मजिस्ट्रेट के द्वारा जमानत निरस्त की जायेगी।**

(वाणी रंजन अग्रवाल)
जे0ओ0कोड–यू0पी0 5674
सत्र न्यायाधीश, जौनपुर।
दिनांक 03.05.2024

Digitally signed by Vani Ranjan Agrawal
Date: 2024.05.03 13:18:35 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court